पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 2506/अका./का.प./2005 रायपुर, दिनांक : 13-10-2005

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक ~~शनिवार~~ मंगलवार, दिनांक 4.10.2005 को पूर्वान्ह 11.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः

1	डॉ लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
2	डॉ ओ.पी.वर्मा, कुलाधिसचिव	सदस्य
3	डॉ एम.ए.खान	सदस्य
4	डॉ.हर्षवर्धन तिवारी	सदस्य
5	डॉ विभूति राय	सदस्य
6	डॉ एम.आर.झाड़े	सदस्य
7	डॉ डी.डी.वर्मा	सदस्य
8	डॉ ए.के.बंसल	सदस्य
9	डॉ सुश्री हेमलता महोबे	सदस्य
10	डॉ जी.बी.गुप्ता	सदस्य
11	डॉ युगल भारती	सदस्य
12	श्री रमेश नैयर	सदस्य
13	श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त -

विषय क्रमांक १ **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक ३१.८.२००५ तथा आपातिक बैठक दिनांक २४.९.२००५ के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।**

निर्णय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक ३१.८.२००५ तथा आपातिक बैठक दिनांक २४.९.२००५ के कार्यवृत्त की संपुष्टि निम्नलिखित सुधार के साथ की गई। कार्यपरिषद की बैठक दिनांक ३१.८.२००५ के कार्यवृत्त के विषय क्रमांक ६ में लिये गये निर्णय में यह जोड़ा गया कि कार्यपरिषद में लिये जाने वाले निर्णयों का शीघ्र क्रियान्वयन किया जावे।

विषय क्रमांक २ **शोध छात्रों द्वारा पीएच.डी.थीसिस जमा करते समय एक प्रति सॉफ्ट कापी (सी.डी.) जमा कराये जाने के संबंध में ग्रंथालय समिति की अनुशंसा पर विचार करना।**

निर्णय शोध छात्रों से पीएच.डी शोध प्रबंध जमा करते समय ग्रंथालय समिति की अनुशंसानुसार एक प्रति सॉफ्ट कापी (सी.डी.) जमा कराने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक ३ **विश्वविद्यालय अध्ययन शालाओं के निम्नलिखित आचार्यों, उपाचार्यों एवं व्याख्याताओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित स्थायीकरण तिथि से स्थाई करने के प्रकरण पर विचार करना।**

निर्णय डॉ हर्षवर्धन तिवारी कार्यपरिषद सदस्य को छोड़कर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय अध्ययन शाला में कार्यरत निम्नलिखित समस्त शिक्षकों को उनके द्वारा धारित पद पर परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरान्त् निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये तिथि से स्थायीकरण करने का अनुमोदन किया गया।

क्र.	नाम	पद	पदभार ग्रहण तिथि	स्थायीकरण तिथि
1.	डॉ. एल.एस निगम	आचार्य, भारतीय प्राचीन इतिहास	20.09.2003	20.09.2005
2.	डॉ. के.एल. वर्मा	आचार्य, भाषा एवं साहित्य अध्ययनशाला	20.09.2003	20.09.2005
3.	डॉ. आर.सी. अग्रवाल	आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला	20.09.2003	20.09.2005
4.	डॉ. के.एस. पटेल	आचार्य, रसायन अध्ययनशाला	20.09.2003	20.09.2005
5.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला	20.09.2003	20.09.2005
6.	डॉ. आर.के. प्रधान	उपाचार्य, जैविकी अध्ययन शाला	20.09.2003	20.09.2005
7.	डॉ. के.एल. तिवारी	उपाचार्य, बायोटेक्नालाजी, अध्ययनशाला	30.09.2003	30.09.2005
8.	डॉ. एस.के. जाधव	उपाचार्य, जैविकी अध्ययनशाला	30.09.2003	30.09.2005
9.	डॉ. संजय तिवारी	उपाचार्य, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला	30.09.2003	30.09.2005
10	डॉ. शम्स परवेज	उपाचार्य, रसायन अध्ययनशाला	01.10.2003	01.10.2005
11	डॉ. मनीष कुमार राय	उपाचार्य, रसायन अध्ययन शाला	30.09.2003	30.09.2005
12	डॉ. आर.एन. बघेल	उपाचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला	30.09.2003	30.09.2005
13	डॉ. रवीन्द्र कुमार ब्रम्हे	उपाचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला	01.10.2003	01.10.2005
14	डॉ. जे.एल. तिवारी	व्याख्याता, समाजशास्त्र अध्ययनशाला	20.09.2003	20.09.2005
15	श्री निरत्तर कुजूर	व्याख्याता, समाजशास्त्र अध्ययनशाला	20.09.2003	20.09.2005
16	कु. हेमलता बोरकर	व्याख्याता, समाजशास्त्र अध्ययनशाला	22.09.2003	22.09.2005
17	डॉ. (श्रीमती) उमा गोले	व्याख्याता, भूगोल अध्ययनशाला	26.09.2003	26.09.2005
18	डॉ. भेखलाल सोनेकर	व्याख्याता, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला	20.09.2003	20.09.2005
19	डॉ. (कु.) अमिया तिर्की	व्याख्याता, जैविकी अध्ययनशाला	20.09.2003	20.09.2005
20	डॉ. केशवकांत साहू	व्याख्याता, जैविकी अध्ययनशाला	20.09.2003	20.09.2005
21	डॉ. (श्रीमती) आरती परगनिहा	व्याख्याता, जैविकी अध्ययनशाला	20.09.2003	20.09.2005
22	डॉ. बलवन्त सिंह ठाकुर	व्याख्याता, गणित अध्ययनशाला	22.09.2003	22.09.2005
23	श्री लुकेश्वर सिंह गजपाल	व्याख्याता, समाजशास्त्र अध्ययनशाला	22.09.2003	22.09.2005

विषय क्रमांक ४ **कार्यपरिषद की दिनांक ६.८.२००५ को सम्पन्न बैठक में महात्मा गांधी महाविद्यालय स्टेशन रोड रायपुर में प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित पैनल पर पुनः विचार करना।**

निर्णय इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चयन समिति कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें संचालक महाविद्यालय विकास परिषद के अवकाश (मुख्यालय से बाहर) पर होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में संचालक महाविद्यालय विकास परिषद के स्थान पर डॉ बी.के.मेहता शामिल हुये। डॉ मेहता की उपस्थिति को मान्य किया गया तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक ६.८.२००५ में इस प्रकरण पर दिये गये अनुमोदन की संपुष्टि की गई।

विषय क्रमांक ५ **विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अतिरिक्त अवधि में कार्य करने हेतु जिलाधीश दर पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रदान करने पर विचार करना।**

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक ६ **विश्वविद्यालय परिसर स्थित मंदिर के संबंध में विचार करना।**

निर्णय डॉ हर्षवर्धन तिवारी कार्यपरिषद सदस्य के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बंजारी मंदिर के सम्बन्ध में लाये गये प्रस्ताव पर विचार किया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस मंदिर के संचालन हेतु न्यास बनाया जावे। न्यास के नियमन बनाने के लिये डॉ एच.वी.तिवारी कार्यपरिषद सदस्य को अधिकृत किया गया। इस संबंध में जिलाधीश को भी पत्र लिखा जावे।

विषय क्रमांक ७ **यू.आई.टी के लिये स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति संविदा आधार पर करने के संबंध में विचार करना।**

निर्णय यू.आई.टी., कम्प्यूटर, प्रबंधन, बी.एड., फार्मेसी, बायोटेक्नालॉजी एवं बायोकेमेस्ट्री के स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के लिये ए.आई.सी.टी.ई. नियम के तहत् कार्यपरिषद के द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर संविदा आधार पर तीन वर्ष या तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये अनुबंध करते हुये पद की पूर्ति की जावे। विज्ञापन जारी करने के पूर्व यदि आवश्यकता हो तो विज्ञापन प्रसारित करने के पूर्व विधिक सलाहकर से अभिमत लिया जावे।

विषय क्रमांक ८ **भवन समिति की बैठक दिनांक २६.९.२००५ की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।**

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

विषय क्रमांक ९ **श्रीमती माया वर्मा द्वारा प्रस्तुत दायर याचिका प्रकरण एम पी.क्रमांक २०९५/९४ पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आदेश हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।**

निर्णय माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में एम.पी.क्रमांक २०९५ से संबंधित प्रकरण पर हुये आदेश दिनांक ३०.८.२००५ को स्वीकार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में उन्हें क्या सुविधाएँ दिया जाना है इस हेतु विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकार से अभिमत माँगा जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि डॉ एच.व्ही.तिवारी कार्यपरिषद सदस्य को इस प्रकरण में संबंधित नस्ती का अवलोकन कराया जावे।

विषय क्र. १० **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक ६.८.२००५ में विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारियों को अग्रिम दिये जाने के संबंध में विचार करना।**

निर्णय विश्वविद्यालय में अग्रिम प्रदान करने के संबंध में ३५ वर्षों से जो सुविधा दी जा रही है उसमें न्यूनतम भुगतान संबंधी नियम की ओर विचार नहीं किया गया जबकि शासन के नियमानुसार कर्मचारी को समस्त कटौती के बाद कम से कम ५० प्रतिशत की राशि वेतन के रूप में प्राप्त होना आवश्यक है। चूँकि ३५ वर्षो से इस नियम को शिथिल करते हुये कर्मचारियों को अग्रिम की सुविधा दी जा रही है इसलिये इस सत्र के लिये उक्त दी जा रही सुविधा को जारी रखा जावे तथा अगले सत्र से शासन के नियमों का पालन किया जाए। इसकी सूचना कर्मचारियों को अभी से दी जावे।

विषय क्र. ११ **कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक २४ ९.२००५ में लिये गये निर्णय अनुसार कुलपति जी द्वारा दूरस्थ शिक्षा प्रकरण में जांच हेतु डॉ व्ही.के.गुप्ता, प्रोफेसर इमेरिटस रसायन शास्त्र पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया।**

निर्णय कार्यपरिषद के निर्णय के अनुसार की गई कार्यवाही संबंधी सूचना ग्रहण की गई।

कार्य सूची

विषय क्र.१२ **गांधी छात्रावास एवं आजाद छात्रावास को वर्तमान = स्वीकृत इम्प्रेस्ट की राशि रूपये ५००-५००/- में वृद्धि कर रूपये १५००/- प्रति छात्रावास करने के प्रकरण पर विचार करना।**

निर्णय गांधी छात्रावास एवं आजाद छात्रावास के लिये क्रमशः रूपये २००८/- इम्प्रेस्ट की राशि स्वीकृत की गई।

विषय क्र.१३ **जैविकी अध्यन शाला में अपलेखन किये गये अनुपयोगी उपकरण एवं अन्य सामग्रियों के विक्रय हेतु विक्रय समिति में कार्यपरिषद के एक सदस्य का मनोनयन करने के प्रकरण पर विचार करना।**

निर्णय जैविकी अध्यन शाला में अपलेखन किये गये अनुपयोगी उपकरण एवं अन्य सामग्रियों के विक्रय हेतु विक्रय समिति के लिये डॉ के.एस.पटेल के नाम का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.१४ **दूरवर्ती शिक्षा प्रकरण की जांच हेतु नियुक्त प्रो. वी.के.गुप्ता के पत्र दिनांक ३.१०.२००५ पर विचार करना।**

निर्णय प्रो. वी.के.गुप्ता के पत्र दिनांक ३.१०.२००५ को स्वीकार करते हुये दिनांक १५.१०.२००५ तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

विषय क्र.१५ **दूरस्थ शिक्षा संस्थान के परिणाम के संबंध में कात्यायनी महाविद्यालय इंदौर, जी.आर.एन.टी.महाविद्यालय रायपुर एवं कु.अल्पना नामदेव से प्राप्त पत्रों पर विचार करना।**

निर्णय प्रकरण पर विचार करने के बाद सर्वसम्मति से पूर्व निर्णय की पुष्टि की गई एवं यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विषयों की परीक्षा समिति पर्यवेक्षकों एवं मूल्यांकर्त्ताओं के प्रतिवेदन पर अपने विचार देंगे।

विषय क्र.१६ **विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा की दृष्टि एक ही मुख्य द्वार एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही पर विचार करना।**

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.१७ **कर्मचारी संघ, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक ५२ दिनांक १.८.२००५ के द्वारा प्रस्तुत मांगों पर विचार करना।**

निर्णय (१)दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को गुण दोष के आधार पर नियमितीकरण करने हेतु सिद्धांतः स्वीकार किया गया परन्तु कार्यवाही के पूर्व शासन से अनुमति आवश्यक है।

(२)पेंशन शिविर के आयोजन हेतु संबंधित अधिकारी को शीघ्र कार्यवाही करने हेतु लिखा जावे।

(३)जिस तिथि को कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे उनको उस समस्त राशि धनादेश के माध्यम से प्रदान किया जावे।

(४)सेवानिवृत्त तिथि को ही बिदाई समारोह आयोजित किया जावे

(५)सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त अवधि के पूर्व सर्विस बुक की फोटो प्रतिलिपि प्रदान किया जावे।

(६)अग्रिम के समायोजन के बाद संबंधित कर्मचारियों को इसकी सूचना लिखित में दी जावे।

विषय क्र.१८ विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दूरभाष सुविधा दिये जाने के संबंध में विचार करना।

विश्वविद्यालय के कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु निम्नानुसार पदाधिकारियों को विश्वविद्यालय द्वारा दूरभाष सुविधा शासन के निर्धारित दर पर (अधिकतम सीमा का पालन करते हुये अर्थात् एक माह में कार्यालय दूरभाष पर १५००/-रूपये एवं निवास के दूरभाष पर रूपये ७५०/- प्रतिमाह) प्रदान करना प्रस्तावित है -

क्र.	संवर्ग	सुविधा
१	सभी विभागाध्यक्षों को (व्यय विभाग के मद से)	कार्यालय के लिये
२	सभी वार्डन/सहायक वार्डन	निवास के लिये
३	अधिष्ठाता छात्र कल्याण/संचालक महाविद्यालयीन विकास परिषद/ प्रॉक्टर/विश्वविद्यालय यंत्री/ जनसंपर्क अधिकारी	कार्यालय एवं निवास
४	विभाग प्रमुख परीक्षा/विभाग प्रमुख गोपनीय/वित्त अधिकारी/विभाग प्रमुख अकादमिक, विभाग प्रमुख प्रशासन, समन्वयक शैक्षणिक बस्तर परिसर,	कार्यालय एवं निवास
५	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी गोपनीय, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी वित्त, कुलपति के सचिव, कुलसचिव के निजी सहायक, प्रभारी गेस्ट हाउस, प्रभारी अनुदान प्रकोष्ठ/कम्प्यूटर सेंटर, प्रभारी वाहन, निर्देशक विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थान, प्रभारी विधिक, सहायक कुलसचिव जगदलपुर, सहायक यंत्री	केवल निवास के लिये
६	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी सेमेस्टर, गेस्ट हाउस, कम्प्यूटर सेंटर, कम्प्यूटर कक्ष (गोपनीय)	केवल कार्यालय हेतु

उपरोक्त अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित सीमा में दूरभाष सुविधा दिया जा सकता है। गोपनीय विभाग के दूरभाष एवं कम्प्यूटर के लिये अधिकतम सीमा में छूट प्रदान करना प्रस्तावित है। कुलपति, कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव को कार्यालय एवं निवास के लिये दूरभाष सुविधा प्रदान किया जाना है। कुलपति, कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव को मोबाइल सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। कुलपति के सुरक्षा गार्ड एवं निजी सहायक को भी विशेष परिस्थिति में मोबाइल सुविधा (अधिकतम सीमा के अंतर्गत) दिया जाना प्रस्तावित है। अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्यालय के लिये अधिकतम सीमा का बंधन नहीं होगा।

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त यदि किसी अधिकारी/विभागाध्यक्ष को दूरभाष की सुविधा दिया जाना है तो अधिकतम सीमा के अंतर्गत अनुमोदन करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

विषय क्र.१९ विश्वविद्यालय परिसर में बैंक, शापिंग काम्प्लेक्स, पोस्ट आफिस, केंटीन हेतु भवन निर्माण के संबंध में विचार करना।

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.२० अधिष्ठाता छात्र कल्याण, प्रॉक्टर एवं संचालक महाविद्यालयीन विकास परिषद को मानदेय प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय अधिष्ठाता छात्र कल्याण, प्रॉक्टर एवं संचालक महाविद्यालयीन विकास परिषद को उनके कार्य की महत्ता एवं कार्यलयीन समय के उपरान्त एवं अवकाश दिवसों में उपस्थिति को ध्यान में रखते हुये अधिकतम रूपये १०००/- प्रति माह निर्धारित मानदेय स्वीकृत किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

विषय क्र.२१ **कार्यपरिषद सदस्यों की कार्यपरिषद की बैठकों में उपस्थित होने पर, अशासकीय महाविद्यालयों के चयन समिति में विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित सदस्यों एवं विश्वविद्यालय की ओर से महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिये नियुक्त सदस्यों को निम्नानुसार सीटिंग फीस प्रदान करने पर विचार करना।**

निर्णय कार्यपरिषद सदस्यों की कार्यपरिषद की बैठकों में उपस्थित होने पर, अशासकीय महाविद्यालयों के चयन समिति में विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित सदस्यों एवं विश्वविद्यालय की ओर से महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिये नियुक्त सदस्यों को निम्नानुसार सीटिंग फीस प्रदान किया जावे।

१. कार्यपरिषद सदस्यों को (कार्यपरिषद के बैठक दिवसों में उपस्थिति पर)	रू.५००/-
२. चयन समिति के सदस्यों को (अशास.महाविद्यालय)	रू.१०००/-
३. निरीक्षण समिति के सदस्यों को (अशास.महाविद्यालय)	रू.१०००/-

विषय क्र.२२ **सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रकोष्ठ के गठन, प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति, प्रकोष्ठ में अधिकारी एवं कर्मचारी के पद सृजित करने के संबंध में विचार करना।**

निर्णय सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कुलपति जी द्वारा डॉ एम.ए.खान को प्रभारी अधिकारी बनाये जाने की कार्यवाही की पुष्टि की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि यह नियमित कार्य है अतः अधिनियम के तहत् निर्धारित अवधि में जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है अतः इस हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन किया जावे। प्रकोष्ठ में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी का पद सृजित करने का भी अनुमोदन किया गया -

१.	सहायक सूचना अधिकारी	१
२.	कम्प्यूटर आपरेटर	१
३.	निम्न वर्ग लिपिक	१
४.	भृत्य	१

विषय क्र.२३ **प्रबंधन संस्थान में बजट प्रावधान २००५-०६ में अनुमानित बजट को संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।**

निर्णय प्रबंधन संस्थान में बजट सत्र २००५-०६ में भवन विस्तार मद में उनके द्वारा प्रस्तावित ३.५ लाख के स्थान पर ३२ लाख रूपये किये जाने को अनुमोदित किया गया। इसी प्रकार फर्नीचर मद में सत्र २००५-०६ के लिये ३ लाख रूपये के स्थान पर रूपये १२.०० लाख रूपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया।

विषय क्र.२४ **विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, कला भवन, विज्ञान भवन एवं ग्रंथागार भवन को स्वयंसेवी संस्था से सफाई अनुबंध करने बावत्।**

निर्णय सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, कला भवन, विज्ञान भवन एवं ग्रंथागार भवन की सफाई के लिये श्री तिरूपति स्वयंसेवी संस्था भिलाई द्वारा प्रस्तावित मासिक व्यय का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.२५ **विश्वविद्यालय में रिक्त दो उप अभियंता के पद में संविदा आधार पर निर्धारित वेतन पर नियुक्त करने बाबत्।**

निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकृत दी गई।

विषय क्र.२६ **श्री टी.व्ही.दिवाकरण को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद संविदा आधार पर नियुक्त करने के संबंध में विचार करना।**

निर्णय सर्वसम्मति से श्री टी.व्ही.दिवाकरण को शासन के नियमानुसार संविदा आधार पर नियुक्ति करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्र.२७ **श्री अब्दूल महमूद के द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार करना।**

निर्णय श्री अब्दूल महमूद द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेख नियमानुसार नहीं होने के कारण पूर्व कार्यपरिषद की बैठक दिनांक ६.८.२००५ में लिये गये निर्णय को सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।

विषय क्र.२८ **पं.रविशंकर शुक्ल की कांस्य प्रतिमा की स्थापना पर होने वाले प्रस्तावित व्यय पर विचार करना**

निर्णय प्रतिमा की स्थापना के लिये आर्किटेक्चर के द्वारा रूपये ४० लाख की अनुमानित व्यय होने की संभावना बताई है। अतः इस हेतु संसाधन जुटाकर बजट प्रावधान बनाने की कार्यवाही की जाए तथा तत्संबंध में शासन को पत्र लिखा जावे। मूर्ति की स्थापना हेतु होने वाले प्रारंभिक व्यय के लिये सीड मनी रूपये १०.०० लाख की राशि वि.वि. मद से किया जाने की स्वीकृति दी गई।

विषय क्र.२९ **विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले शोध छात्रवृत्ति में वृद्धि करने पर विचार करना।**

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले शोध छात्रवृत्ति में वृद्धि करने हेतु बजट की व्यवस्था की जावे। यह भी सुझाव दिया गया कि यह राशि संविदा नियुक्ति में होने वाले व्यय में से समायोजित कर लिया जावे। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि इन छात्रों से विभाग के अध्यापन कार्यों में मदद ली जावे।

विषय क्र.३० **श्री राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, राजनांदगांव में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं लाइब्रेरियन के पद के लिये गठित साक्षात्कार समिति की अनुशंसा को अनुमोदन करने पर विचार करना।**

निर्णय सर्वसम्मति से साक्षात्कार समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया गया। चयनित अभ्यर्थियों के नाम निम्नानुसार है -

पद	**चयनित अभ्यर्थियों के नाम**
प्राचार्य (अकादमिक सत्र २००५-०६ के लिये)	डॉ(श्रीमती) किरण अग्रवाल
सहायक प्राध्यापक	१.कु.सौम्या शर्मा २.श्रीमती रेखा सिंग ३.श्री ओमप्रकाश खांगर ४.श्री विनोद बाबूराव उइके ५.श्रीमती वंदना जैन ६.श्रीमती रूपा श्रीवास्तव ७.कु.गीतांजली यादव प्रतीक्षा सूची १.श्रीमती सरोज बघेल
ग्रंथपाल	कु.नीलिमा तिवारी

क्र. 31 माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विश्वविद्यालय की ओर से न्यायालयीन प्रकरणों पर वाद प्रस्तुत करने के लिये अधिवक्ता नियुक्त करने के संबंध में।

सर्वसम्मति से श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता को माननीय उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय के न्यायालयीन प्रकरणों पर वाद प्रस्तुत करने के लिये अधिवक्ता नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद सदस्यों को उनके द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक सम्पन्न हुई।

अध्यक्ष 13-10-05

कुलसचिव 4/10/05

क्रमांक : 2507 / अका. / का.प. / 2005 रायपुर, दिनांक : 13-10-2005

प्रतिलिपि :-

महामहिम कुलाधिपति के सचिव, राजभवन छत्तीसगढ़, रायपुर ।
कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को ।
वित्ताधिकारी,
आवासीय अंकेक्षक,
कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव